न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), अमरोहा।

CNR N0 UPJB010060362022
एफआर सं0 1406/2022
एफ.आर. बनाम परिवादी छोटू।
अ0सं0 344/2022, थाना अमरोहा नगर।
जिला अमरोहा।

दिनांक–30.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी मुकदमा की ओर से पूर्व में प्रा0पत्र अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने हेतु इस आशय का दिया गया कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी वादी है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में अंतिम आख्या दाखिल की गयी है जिससे प्रार्थी संतुष्ट है और प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना है कि पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम आख्या को स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि तमामी विवेचना बयान वादी, मजीद बयान वादी व तथा वादी के धारा 164 दं0प्र0सं0 में प्र0सू0रि0 के तथ्यों का समर्थन न करना व मृतक की मृत्यु नशे का आदी होने के कारण स्वयं गिरने से आयी चोटों के संबंध में शपथ पत्र व गवाहों के द्वारा कथन अंकित कराना, अवलोकन सी.सी.टी.वी. फुटेज, बयान स्वतंत्र गवाह, अवलोकन पी.एम. रिपोर्ट, बयान चिकित्सक आदि से प्र0सू0रि0 में अंकित तथ्यों व नामितगण मौ0 उस्मान, सतेन्द्र ढाका, मुकेश कुमार, कृष्णपाल व विरेन्द्र कुमार बिष्ट के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त के मृतक विनीत की हत्या की घटना कारित करने के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अंतिम आख्या स्वीकार की जाए। पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या से वादी संतुष्ट है और उसे अंतिम आख्या पर कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय द्वारा वादी को तलब कर कुछ प्रश्न पूछे जिनके उत्तर में ऐसा कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आया जिससे अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना दर्शित होता हो। निर्णय विधि **पाखण्डू एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं एक अन्य 2001 (43) ए0सी0सी0 1096** के वाद में माननीय न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उसके समक्ष चार कार्य प्रणालियों के रास्ते खुले होते हैं, जिनमें से वो किसी एक को वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार चुन सकता है।

1. वह पुलिस द्वारा प्राप्त निष्कर्षो से सहमत होते हुए रिपोर्ट को स्वीकार करके कार्यवाहियों को समाप्त कर सकता है, परन्तु ऐसा किये जाने से पूर्व वह परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, अथवा

2. वह धारा 190 (1)(b) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत संज्ञान लेकर अन्वेषण प्राधिकरण के निष्कर्षो से अबाध्य होकर सीधे अभियुक्त को प्रक्रिया निर्गत कर सकता है। जहॉ वह इस सम्बन्ध में

Digitally signed by HEMLATA TYAGI
Date: 2024.05.31 10:32:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संतुष्ट है कि पुलिस द्वारा अन्वेषित अथवा खोजे गये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार हैं, अथवा

3. वह अग्रिम अन्वेषण हेतु आदेशित कर सकता है, यदि वह यह संतुष्टि प्राप्त करता है कि अन्वेषण असावधानी पूर्वक किया गया था, अथवा

4. वह बिना प्रक्रिया निर्गत किये अथवा कार्यवाहियों का समाप्त किये मूल परिवाद अथवा प्रतिवाद याचिका को परिवार व्यवहारित करते हुए उस पर धारा 190 (1)(a) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत संज्ञान ले सकता है, वह दं0प्र0सं0 की धाराओं 200 एवं 202 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है, तथा उसके पश्चात् विनिश्चित कर सकता है कि क्या परिवाद को निरस्त किया जाये अथवा प्रक्रिया निर्गत की जाये।

अतः अभियुक्तगण द्वारा प्रथम दृष्टया किसी अपराध का कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार उपरोक्त अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है।

हेमलता त्यागी
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट)
अमरोहा।